# न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 123/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 20.9.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

## उनवान

1. रघुनाथ
2. रामेश्वर
3. बृजमोहन
4. भीमराज

पिसरान लक्ष्मीचंद जाति राव (बारेठ) निवासीगण ग्राम मोटूका तहसील अटरू जिला बांरा।

5. जगन्नाथी
6. प्रेम
7. भूली
8. सुगनी
9. चम्मु

पुत्रियां लक्ष्मीचंद जाति राव (बारेठ) निवासीगण ग्राम मोटूका तहसील अटरू जिला बांरा (राज0)।

...अपीलाट्स

## बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बांरा ।
2 सरपंच ग्राम पंचायत बमोरी पंचायत समिति अटरू जिला बांरा।
3 भगीकिशन आत्मज बिरधीलाल जाति सुमन निवासी ग्राम मोटूका तहसील अटरू जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलाट
श्री केदार लाल भारद्वाज अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–3

## निर्णय

दिनांक 2.8.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 5/2015 बउनवान रघुनाथ बनाम सरकार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम मे पारित निर्णय दिनांक 12.6.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र ससं0 16/05 धारा 136 एलआरएक्ट का पेश किया गया कि ग्राम मोटूका स्थित आराजी ख0 नं0 92 रकबा 1 बीघा 19

बिस्वा, खसरा नं0 176 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0 नं0 178 रकबा 3 बीघा ख0 नं0 227 रकबा 2 बिस्वा जो अपीलांट के पिता लक्ष्मीचन्द के नाम दर्ज थी जो उनके स्वर्गवास पश्चात अपीलांट के नाम दर्ज की गई। सेटलमेंट विभाग द्वारा ख0 नं0 92 के नवीन खसरा नम्बर 97 रकबा 0.12 है0 कायम किये गये जो पूर्व रकबे के मुकाबले 0.19 है0 कम दर्ज करने से नवीन खसरा नम्बर 98 रकबा 0.39 है0 मे से पूर्ति की जावे। उक्त आशय के प्रा0 पत्र को दिनांक 23.3.07 को स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीकिशन द्वारा अपील सं0 148/2007 न्यायालय हाजा मे पेश की गई जो दिनांक 29.5.08 को स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 6/08 दर्ज कर प्रार्थना पत्र दिनांक 10.7.12 को खारिज कर दिया जिसकी अप्रसन्नता से न्यायालय हाजा मे अपील सं0 156/12 रघुनाथ बनाम सरकार व अपील सं0 168/12 श्रीकिशन बनाम रघुनाथ वगेरा प्रस्तुत की गई जिसे दिनांक 19.11.2014 को स्वीकार कर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दियो जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है क्योंकि अपीलांट को लोक अदालत का कोई नोटिस नही दिया ना ही कोई सूचना ही अपीलांट को प्रदान की गई बिना किसी जानकारी व सूचना के केम्प कोर्ट मे पत्रावली रखकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश सकारण पारित नही किया केवल मात्र प्रकरण को साबित करने मे असफल रहने मात्र के आधार पर खारिज कर त्रुटि की है जबकि पत्रावली मे सम्पूर्ण दस्तावेज मौजूद थे जिनका खण्डन रेस्पो0 द्वारा नही किया गया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.11.2014 मे दिये गये रिमांड निर्देर्शो/आदेशो की पालना नही की तथा लोक अदालत का नोटिस व सूचना दिये बिना ही केम्प कोर्ट मे पत्रावली रखकर पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट मे बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सकारण आदेश नही है अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे मौजूद सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन नही किया। अतः जेरअपील निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 ने प्रकरण रिमांड करने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने मे सहमति प्रकट की गई।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 156/12 रघुनाथ बनाम सरकार व 168/12 श्रीकिशन बनाम रघुनाथ निर्णय दिनांक 19.11.2014 को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 6/2008 धारा 136 मे पारित निर्णय दिनांक 10.7.2012 को अपास्त कर निर्णय मे विवेचित तथ्यो के संबध मे पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके खाते दर्ज सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद की नकल जमाबंदी नक्शा लट्ठा मिलान क्षेत्रफल आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः विधि सम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपीलार्थी/प्रार्थीगण साबित करने मे असफल रहने मात्र से खारिज कर दिया। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य

तर्क है कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.11.2014 मे दिये गये रिमांड निर्देशों/आदेशो की अधीनस्थ न्यायालय ने पालना नही की तथा लोक अदालत का नोटिस व सूचना दिये बिना ही केम्प कोर्ट मे पत्रावली रखकर पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही जेरअपील निर्णय 21.6.2017 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से अपीलांट के उक्त तर्क की पुष्टि होती है क्योंकि दिनांक 15.3.17 को पत्रावली मे वास्ते बहस 10.5.2017 ता0 पेशी नियत की गई थी उसके पश्चात दिनांक 21.6.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बमोरी मे पत्रावली रख कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे पक्षकारान को दिनांक 21.6.2017 को लोक अदालत केम्प बमोरी मे सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने बावत नोटिस जारी कर सूचित किया गया हो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का नोटिस व सूचना दिये बिना ही केम्प कोर्ट मे पत्रावली रखकर पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों को अवलोकन किये बिना जेरअपील निर्णय 21.6.2017 पारित किये जाने की पुष्टि होती है। अतः उक्त विवेचित तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–3 ने भी दौराने बहस प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड करने हेतु सहमति प्रकट की है। अतः न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 21.6.2017 अपास्त किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण मे पूर्व पारित निर्णय दिनांक 19.11.2014 मे दिये गये रिमांड निर्देशो की परिपेक्ष्य मे पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 2.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा